12/11/20[illegible] उपस्थित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । अनुपस्थित

[illegible] का प्रार्थना पत्र O. 7 R. 14 [illegible]

धारा 151 C.P.C [illegible]

सिविल न्यायाधीश

सैंपऊ (धौलपुर) राज०

Kind of Case ......

Date	Order with initials of Presiding Officer
12/11/2025	पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा निर्णीत विधि को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता की ओर से पेश किये न्यायिक दृष्टांत ;- (i) [2019(2) DNJ (Raj) 756] Subhash Chandra Birla & Anr. V/s Smt. Pushpa Devi Kothari. S.B. Civil Writ Petition No. 16336 of 2018, decided on 6.5.2019. (ii) [2018(2) DNJ (Raj) 654] Shri Ahimsa Mines & Minerals LTD. (M/s.) V/s Additional District & Sessions Judge (fast track) No. 3, Jaipur City & ors. (S.B Civil Writ Petition Nos.

सिविल न्यायाधीश
सैंपऊ (धौलपुर) राज०

.... versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
12/11/2025	13246, 12901 of 2008 decided on 14.3.2018. (iii) [2018 (4) DNJ (Raj) 1404] Surjan Ahir v/s Ramsingh Rajput & Anr. (S.B. Civil Writ Petition no. - 19968 of 2018; decided on 11.9.2018) का सम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त के न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करें तो O.7 R.14 C.P.C में प्रावधित किया गया है कि :- (i) जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने पक्ष के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उनके द्वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के समय वह उन्हें न्या. में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ सिविल न्यायाधीश सैंपऊ (धौलपुर) राज०	

Number of Case ....

Kind of Case ....

Date	Order with initials of Presiding Officer
12/11/2025	फाइल किये जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।
	(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे या शक्ति में है।
	(3) कोई दस्तावेज जो वादपत्र प्रस्तुत किये जाते समय वादी द्वारा न्याया. में पेश किया जाना चाहिये था या वादपत्र के साथ जोड़ी गई या उपाबद्ध सूची में प्रविष्ट होना चाहिये था परन्तु तदनुसार प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया गया है, वह न्यायालय की अनुमति के बिना, वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में नहीं लिया जायेगा।
	(4) इस नियम की कोई बात ऐसी दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो पक्षकार के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किये गये हो या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिये गये हों।"
	अतः पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पत्रावली में साक्ष्य वादी प्रार्थी
	सिविल न्यायाधीश सैंपऊ (धौलपुर) राज0

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
12/11/2025	हो चुकी है लेकिन यह भी विधि की मंशा है कि न्यायहित में जो दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है वो अभिलेख पर लिए जायें ताकि प्रकरण के निस्तारण में किसी भी पक्ष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसके अतिरिक्त यह भी है कि अगर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाते हैं तो आगे विपक्षी पक्षकार के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे और उनके हितों में हानि होने की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है, अपितु यथागत पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण में न्यायालय को सहायता प्राप्त होगी इसके अतिरिक्त वादी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने का प्रार्थना पत्र बहुत विलम्ब से पेश किया गया है सो इन संबंधों तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का यह विनम्र सिविल न्यायाधीश सैंपऊ (धौलपुर) राज0	

Number of Case .... Versus ....

Kind of Case ....

Date	Order with initials of Presiding Officer
12/11/25	मत है कि उक्त विलम्ब को cost राशि से आपूर्ति किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा पेश स्वीकृति प्रार्थना पत्र हस्तगत पत्रावली के तथ्यों व परिस्थितियों से मेल खाते हैं कारण वादी का नुकसान नहीं होता है और उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है अतः तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र को 500/- रुपये की cost राशि पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। cost राशि 500/- रुपये प्रतिवादी मोहिलाल को दी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 26/11/25 को पेश हो।
	सिविल न्यायाधीश सैंपऊ (धौलपुर) राज.